



दूरभाष 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : २५८१ / ०५ / ७६ / एक / २०१४-१५
सेवा में,

दिनांक : ०८ दिसंबर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-गाजियाबाद।


विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अनुसूचित जाति बाहुल्य वर्सियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य वर्सियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अवमुक्त कर दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सिडिकेट बैंक	85562010120829	IFSC Code SYNB0008556	91.568
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-८३	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (प्रथम किश्त)
1	गाजियाबाद	एससीपी-८३	न०नी० गाजियाबाद	न्यू डिफरेंस कालोनी (राजेन्द्र के मकान से विनोद के मकान तक, मधुर के मकान से मुन्दर के मकान तक, देवेन्द्र के मकान से ओम के मकान तक, आलोक के मकान से देवेन्द्र के मकान तक, रामप्रकाश के मकान से डी ९७ मकान तक) में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	16.548
2	गाजियाबाद	एससीपी-८३	न०नी० गाजियाबाद	बम्हेटा भाग -१ (रोहताश के मकान से रमेश के मकान तक, रमेश के मकान से पप्पू के मकान तक, सोदान रिहं के मकान से गदनपाल रिहं के मकान तक एवं मूलचन्द के मकान से अशोक के मकान तक) में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.178
3	गाजियाबाद	एससीपी-८३	न०नी० गाजियाबाद	बम्हेटा भाग -२ (सीमा देवी के मकान से अविनाश के मकान तक, राम अवतार के मकान से छेदीलाल के मकान तक, अशोक के मकान से राजकुमार के मकान तक, सोनू के मकान से वलराज के मकान तक, सुभाष के मकान से जितेन्द के मकान तक एवं अशोक के मकान से उदय के मकान तक) में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.078
4	गाजियाबाद	एससीपी-८३	न०नी० गाजियाबाद	बम्हेटा भाग -३(पप्पू के मकान से राम के मकान तक, रामनिवास के मकान से प्रमोद के मकान तक, सतीश के मकान से प्रदीप के मकान तक, हरिलाल के मकान से रामवीर के मकान तक, रामअवतार के मकान से रामअवतार के मकान तक, ताडकेश्वर के मकान से जितेन्द के मकान तक एवं सुभाष के मकान से बाबू के मकान तक) में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	17.229
5	गाजियाबाद	एससीपी-८३	न०पा०प० लोनी	सरल कुज भाग १ लोनी (सत्यप्रकाश के मकान से विनोद के मकान तक, मेवा लाल के मकान से कान्तिदेवी के मकान तक, राजपाल जाटव के मकान से सतीश जाटव के मकान तक, कर्मेया लाल जाटव के मकान से जाकिर के	12.954



दूरभाष - 2286709
2286710


नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (प्रथम किश्त)
				मकान तक, जगत के मकान से राजू के मकान तक, केशव के मकान से मुन्ना के मकान तक, सुकन के मकान से राजिद के मकान तक, सतवीर के मकान से गोपाल जाटव के मकान तक एवं लकपत के मकान से अख्तर के मकान तक) में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
6	गाजियाबाद	एससीपी-83	न०पा०प० लोनी	सरल कुज भाग 2 लोनी (राजकुमार के मकान से रात्यप्रकाश के मकान तक, कूलबीर के मकान से जगराम के मकान तक एवं राजबीर के मकान से रुभाष के मकान तक) में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.993
7	गाजियाबाद	एससीपी-83	न०पा०प० लोनी	सरल कुज भाग 3 लोनी (रीरापाल के मकान से हकीमू के मकान तक, राजकुमार के मकान से बोबी के मकान तक एवं राजू के मकान से मन्दिर तक) में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.588
	योग				91.568

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में सी०री० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



दूरध्वाम - 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि छूटा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यायर्वत्तन अनुगन्धि न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुगन्धि सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीर्घ,

(ललित प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल—सूडा।
4. लेखा विभाग—सूडा।

(ललित प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक